

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल-add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-बीकानेर / SL-378 / 2025 / 59

दिनांक:-03/02/2025

—:आदेश:—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर अवमानना याचिका अवमानना संख्या 502/2022 अन्तर्गत एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 8843/2020 मंजीता बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.09.2020 में की पालना में सक्षम स्तर से नो अपील का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अध्ययनरत जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2020-21 को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार व प्रस्तुत आवेदन अनुसार राजस्थान सेवा नियम 110 एवं 112 के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश की अवधि
1	पूनम	उप0 स्वा0 केन्द्र, आनन्दगढ, खाजूवाला, बीकानेर	1. दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 01.04.2023 से 25.06.2023 तक 86 दिवस उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 26.06.2023 से 31.03.2024 तक 280 दिवस असाधारण अवकाश।

उक्त अवकाश अवधि का वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा यदि मूल पदस्थापन स्थान में पद भरे जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 07 दिनांक 30.01.2024 की परिधि में आने पर प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / जोन-बीकानेर / SL-378 / 2025 / 59

दिनांक:-03/02/2025

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
2. उप विधी परामर्शी, मुख्यालय।
3. श्रीमती मुकेश दवे, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-राजस्थान।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी।
8. संबंधित प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।
9. टीसी अनुभाग / राजहैल्थ अनुभाग मुख्यालय।
10. संबंधित कार्मिकाओं, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय, उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
12. रक्षित / आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 21.01.2025 10:25:45